Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to increase the allowances of Odhisha Home Guards.

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं । आज मैं ओडिशा राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं । ओडिशा में करीब सत्रह हजार होम गार्ड्स कार्यरत हैं । हम सभी को ज्ञात है कि पुलिस कर्मियों को आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है ।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन उन्हें सिर्फ तीन सौ रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं । Daily Allowance is just Rs. 300 for each of the Home Guards in Odisha. मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2015 में एक आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि पुलिस कर्मियों को जो न्यूनतम भत्ता मिलता है, वह होम गार्ड्स को भी मिलना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना नहीं गया है । उसके बाद ओडिशा होम गार्ड्स आर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि 533 रुपये प्रति दिन होम गार्ड्स को दैनिक भत्ते के रूप में दिए जाएं, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है ।

मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस दिशा में ओडिशा राज्य से बातचीत करे और ओडिशा होम गार्ड्स आर्गेनाइजेशन की डिमांड्स की पूर्ति की जाए ।